भवन निर्माण कार्य का अनुबंध –पत्र

यह अनुबंध आज दिनांक 17.02.2023 को भोपाल में सक्षम प्राधिकारी नगर निगम भोपाल तथा मेसर्स ए.पी. कन्सट्रक्शन, पार्टनर श्री अजय मोहगांवकर आत्मज श्री एस. डब्ल्यू. मोहगांवकर एवं प्रदीप शर्मा आत्मज श्री जी.एस. शर्मा, निवासी एस–4, श्री रमेश टावर, 10 नं. मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल की कॉलोनी स्थित मिसरोद में खसरा क्र 62/1च, 62/1छ, 62/1ज, 62/1झ, 62/1त्र, 62/1क, 62/1ग, 62/1घ, 62/1ख, 62/1ड़, 377/61/2/1 कुल रकवा 1.460 हेक्टेयर पर स्थापित की जाने वाली कालोनी के भवन निर्माण कार्य हेतु निम्न शर्तो के साथ किया जाता है।

1. यह कि कालोनी का विकास नगर तथा ग्राम निवेश के पत्र क्र BPLLP010622556 दिनांक 28.08.2022 द्वारा अनुमोदित अभिन्यास में (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बधन तथा शर्ते) के अन्तर्गत नबर निगम की देख–रेख में अनुबंध अनुसार सम्पूर्ण विकास कार्य हेतु बाध्य होगें।
2. यह कि कालोनी का अभिन्यास तथा नाम आदि का विवरण 6x6 फीट के बोर्ड पर अंकित कर मुख्य द्वार पर लगायेंगे। बंधक रखे गये भूखण्डों/फ्लैट्स का उल्लेख भी अभिन्यास में करना होगा। बंधक पत्र पंजीकृत होगा।
3. यह कि संस्था/फर्म द्वारा बंधक रखे गये भू–खण्डों पर इस आशय का बोर्ड भी लगाना होगा कि यह भू–खण्ड नगर निगम में बंधक रखे गये है।
4. यह कि प्रत्येक भूखण्ड का सीमांकन कर भूखण्ड स्वामी का नाम तथा पता भी भखण्ड पर दर्शाना होगा।
5. यह कि संस्था/फर्म नगर निगम एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की स्वीकृति के बिना अभिन्यास में कोई परिवर्तन नही करेगी एवं स्वीकृति भूखण्ड/प्रकोष्ठ के अतिरिक्त भूखण्ड/प्रकोष्ठ नही बनायेगी।
6. यह कि संस्था/फर्म नजूल कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय भू–व्यय कार्यालय तथा नगर भूमि सीमा कार्यालय, नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय, नगर निगम तथा अन्य शासकीय विभागों द्वारा आरोपित शर्तो का पूर्णतः पालन करेगें।
7. यह कि जो भूमि स्कूल, पार्क, अस्पताल एंव अन्य सार्वजनिक उपयोग हेतु अभिन्यास में स्वीकृति की गई है, उसका उपयोग अभिन्यास अनुसार ही करेगें।
8. यह कि खुली भूमि, पार्क स्थल, प्राथमिक चिकित्सालय, दवाखाना इत्यादि मार्ग खेल मैदान तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर नगर निगम भोपाल का पूर्ण अधिपत्य (स्वामित्व) रहेगा।
9. यह कि म.प्र. राजपत्र दिनांक 19.04.2012 में उल्लेखित प्रावधानो का सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
10. किसी भी प्रकार के भूमि स्वामित्व संबंधी विवाद, अतिक्रमण, स्वीकृति से हटकर विकास का उल्लंघन, शासकीय भूमि पर अतिक्रण करने या शासकीय विभाग से आपत्ति प्राप्त होने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
11. यह कि म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र. एम.पी. 695/32/98- दिनांक 23.10.98 के तारतम्य में 100 वर्गमीटर या उससे अधिक वालें भूखण्डों में प्रत्येक 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक वालें भूखण्डों में प्रत्येक 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर एक छायादार वृक्ष के मान से वृक्षारोपण करना होगा। इसके अतिरिक्त संस्था को प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में 15 छायादार बृक्ष प्रति हैक्टयर के मान से वृक्षारोपण करना होगा, उनकी देख–रेख की जिम्मेदारी भी संस्था की होगी।
12. यह कि संस्था/फर्म कालोनी के विकास कार्य हेतु प्रत्येक रोड का सेक्शन जिसमें तार रोड का भाग सोल्डर नाली, विद्युत खम्बों की स्थिति, पानी की लाईन, मल निकासी की लाईन की स्थिति को दर्शाना होगा। इस बात की व्यवस्था करनी होगी कि पेयजल की लाईन मल निकासी की लाईन से अलग हो और पेयजल को दूषित न करें। इसी प्रकार संपूर्ण कालोनी में रोड, मल निकासी की

प्रणाली, सैप्टिक टेंक मेन होल रोड के दोनो ओर की नालियां, विद्युत प्रदाय की लाईन, विद्युत प्रकाश की व्यवस्था हेतु खम्बों की स्थिति, ट्रान्सफारमर की स्थिति जल प्रदाय ओवर हेड टेंक, टेंकी की स्थिति, जल प्रदाय की लाईन इत्यादि की स्थिति स्पष्ट रूप से अलग मान चित्रों में दर्शाते हुये प्रस्तुत करना होगा।

13. यह कि बिन्दु क्रमाक– 10 एवं 11 पर वांछित जानकारी मय तकनीकी गणना एवं मानचित्रों के 15 दिवस में नगर निगम में उपलब्ध कराना होगा।

14. यह कि संस्था/फर्म द्वारा अनुमति जारी होने की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करना होगा, अन्यथा नगर निगम को अधिकारी होगा कि वह विकास कार्य को अपने हाथ में ले ले और जो भी विकास राशि निर्धारित हो वह बंधक रखे गये भखण्डों को बेच कर विकास कोष की राशि प्राप्त कर आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करायें।

15. यह कि भवन मान चित्र नगर निगम भोपाल द्वारा पंजीकृत मान चित्रकारों से ही बनवाने होगे। कार्य रोकने में संस्था/फर्म निगम को सहयोग देगी।

16. यह कि कालोनी में अवैध निर्माण कार्य रोकने में संस्था/फर्म निगम को सहयोग देगी।

17. यह कि जब तक कालोनी का अधिग्रहण नगर निगम भोपाल द्वारा नही किया जाता उस समय तक कालोनी के रख– रखाव की जिम्मेदारी संस्था/फर्म की होगी।

18. यह कि उपरोक्त शर्तो के साथ संस्था/फर्म को कालोनी में भवन निर्माण की अनुमति तीन वर्ष के लिये प्रदान की जाती हैं इस अवधि में समस्त नियमानुसार भवन निर्माण अनुमति प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकेगें।

19. यह कि यदि कोई विवाद या उपरोक्त कंडिका का उल्लघन हो तो आयुक्त नगर निगम भोपाल के आदेश का पालन करना होगा।

20. यह कि स्वीकृति अभिन्यास में दर्शित आवासीय भूखण्डों के नियोजन मानकों हेतु भोपाल वि.यो. 2005 में वर्णित तालिका 4 टी–2 मान्य की जावेगी।

21. यह कि यह अनिवार्य होगा की इस अनुबंध को लेकर उत्पन्न किसी भी विवाद के लिये महापौर नगर निगम, भोपाल की मध्यस्थता के रूप में जो भी निराकरण करेगें वह दोनो पक्षों को मान्य एवं स्वीकार होगा। यह अनुबंध संस्था तथा समस्त पदाधिकारीयों एवं सदस्यों की पूर्ण सहमति से निष्पादित किया गया ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

22. यह कि संस्था/फर्म प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगी।

23. यह कि कालोनी विकास कार्य नाम A.P. Enclave के नाम से किया जावेगा। इसमें कोई भी परिर्वतन नियमानुसार अनुमति नगर निगम से लेना अनिवार्य होगा।

24. यह कि यदि कोई विवाद उपरोक्त कण्डिका का उल्लघन होता है, तो आयुक्त नगर निगम भोपाल के आदेश का पालन मेंसर्स A.P. Construction भोपाल को करना अनिवार्य होगा।

यह अनुबन्ध आज दिनांक 17.02.2023 को संस्था/फर्म की पूर्ण सहमति से निष्पादित किया गया है, ताकि सनद रहे तथा वक्त जरूरत पर काम आवे।

ATTESTED
17/02/2023
SANJAY PALIWAL
NOTARY & ADVOCATE
BHOPAL (M.P.) INDIA

हस्तांक्षर गवाह

हस्तांक्षर अनुबंध कर्ता
Ajay Mohogaonkar

IDENTIFIED BY ME
Name: Murendra Singh
Address: BAD Sector D. Salwiya
Signature:

A.P. Construction

S-4, Shri Ramesh Tower 10 No. Market,
Arera Colony, Bhopal-462016 (M.P.)

Ref. *Dt. 09-01-2023*

प्रति,

नगर निवेशक,
नगर पालिका निगम,
भोपाल म.प्र.

विषयः— भवन निर्माण की अनुमति हेतु ।

महोदय,

हमारे द्वारा भूमि खसरा नं. 63/1/1 एवं अन्य ग्राम मिसरोद की भूमि कुल रकबा 1.460 हेक्टेयर पर विकास अनुमति क्रमांक 1073 दिनांक 01.02. 2023 से ली गई थी, इस संदर्भ में सार्वजनिक विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दी गई है।

कृपया कर भवन निर्माण की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

आवेदक

For A P CONSTRUCTION
Partner

नगर निगम
2404
09/2/23

निगम आयुक्त श्री चौधरी ने जलप्रदाय ... अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।

प्रन

ल

ाल पर

ी अनुमति दी
बढ़ती कीमतों
के माध्यम से
त किसानों को
में खाद्यान्न की
उचित मूल्य
लिए प्रत्यक्ष
अनुमति देना,
रण का पश्चिम
जन पूरे देश में
,लेकर दुकान
को होने वाली
बूरी यह है कि
से नहीं लेगी
री समिति संघ
या फेयर प्राइस
के सभी राशन

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

वैध कालोनी प्रकोष्ठ, शाहपुरा

क्र. 312/ का.प्र./ 2023 — भोपाल दिनांक 01/02/2023

।। सार्वजनिक विज्ञप्ति ।।

मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 13 (2) के अन्तर्गत

सर्वसाधारण जनता की जानकारी के लिए इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री/ आवेदक/ मेसर्स ए.पी. कन्स्ट्रक्शन्स द्वारा पार्टनर 1) श्री अजय मोहगावकर आत्मज श्री एस.डब्ल्यू. मोहगावकर, 2) प्रदीप शर्मा आत्मज स्व. श्री जी. एस. शर्मा एवं भूमि स्वामी 1) श्री शकील अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, 2) श्री राशिद अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, 3) श्री शाहिद अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, 4) श्री रईस इकबाल आत्मज श्री जमील अहमद, 5) डॉ. कमर सुल्ताना पुत्री श्री जमील अहमद, 6) मुसम्मात फरहाना पुत्री श्री जमील अहमद, 7) मुसम्मात मेहरुन निशा पुत्री श्री जमील अहमद, 8) मुसम्मात रेहाना पुत्री श्री जमील अहमद, 9) मुसम्मात बदरून निशा पुत्री श्री जमील अहमद, 10) मुसम्मात फखरून निशा पुत्री श्री जमील अहमद में से प्रथम पक्षकार क्रमांक-06 से 10 की ओर से द्वारा मुख्त्यारआम मेसर्स प्रियदर्शिनी कन्स्ट्रक्शन द्वारा प्रोपराईटर श्री प्रदीप शर्मा आत्मज स्व. श्री जी.एस. शर्मा द्वारा ग्राम मिसरोद स्थित भूमि खसरा क्रमांक 62/1/1, 62/1/10, 61, 3761, 377/61/2/1/1, क, 62/1/2, 62/1/3, 62/1/4, 62/1/5, 62/1/6, 61, 377/61/2/1,च, 62/1/7, 61, 377/61/2/1/ छ, 62/1/8, 62/1/9, 61, 377/61/2/1/ ज कुल रकबा 1.46 हेक्टे. पर भोपाल नगर पालिका निगम क्षेत्र के अधीन भूखण्ड धारक होकर क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी "A.P.ENCLAVE" निर्मित करने जा रहे है के द्वारा कुल बंधक किया गया भूखण्डों का क्षेत्रफल 1922.61 व.मी., नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल द्वारा जारी अनुमोदित मानचित्र क्रमांक - BPLLP010622556 दिनांक 28/08/2022 में दर्शित भूखण्ड क्रमांक- ए-07, ए-08, ए-09, ए-10 प्रत्येक का क्षेत्रफल - 151.20 व.मी., भूखण्ड क्रमांक-बी-09, बी-10, बी-11, बी-12, बी-13 प्रत्येक का क्षेत्रफल - 125.50 व.मी., भूखण्ड क्रमांक- जी- 01, जी-02 प्रत्येक का क्षेत्रफल - 78.08 व.मी., भूखण्ड क्रमांक - डी -01, डी-02, डी-03, डी-04, डी-05 प्रत्येक का क्षेत्रफल -106.83 व.मी., इस प्रकार कुल 16 भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 1922.61 व.मी., नगर निगम, भोपाल के पक्ष में बन्धक रखे गये हैं। ये भूखण्ड इस क्षेत्र की कॉलोनी का आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नियमानुसार बंधक मुक्त किये जायेंगे तथा इसी के पश्चात् इन भूखण्ड का विक्रय किया जा सकेगा।

अतः सर्व साधारण इन भूखण्डो के संबंध में न तो अनुबंध करें न ही किसी भी प्रकार के विक्रय, बंधक तथा अन्तरण की कोई कार्यवाही करें अन्यथा वह निरस्त मानी जायेगी अतः सूचित हो ।

सक्षम प्राधिकारी
मुख्य नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, भोपाल

...अभिभाषक के माध्यम से ... न्यायालय मे उपस्थित होकर विज्ञप्ति/ इश्तेहार प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नही किया जावेगा। विज्ञप्ति/ इश्तेहार आज दिनांक 03/02/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल शहर वृत्त भोपाल

किसी को कोई आपत्ति हो तो ... आपत्ति 07 दिवस में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात प्राप्त आपत्तिय पर किसी भी प्रकार का विचार नही किया जावेगा।

मेरी पदमुद्रा से आज दिनांक को जारी।

तहसीलदार
नजूल वृत्त गोविन्दपुरा भोपाल

... इस्तेहार/ प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 02/02/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी।

नायब तहसीलदार
टी.टी. नगर वृत्त भोपाल

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

वैध कालोनी प्रकोष्ठ, शाहपुरा

क्र. 312/ का.प्र./ 2023 भोपाल दिनांक 01/02/2023

।। सार्वजनिक विज्ञप्ति ।।

मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 13 (2) के अन्तर्गत

सर्वसाधारण जनता की जानकारी के लिए इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री/ अध्यक्ष/ मेसर्स ए.पी. कन्स्ट्रक्शन्स द्वारा पार्टनर1) श्री अजय मोहगावकर आत्मज श्री एस.डब्ल्यु. मोहगावकर, 2) प्रदीप शर्मा आत्मज स्व. श्री जी. एस. शर्मा एवं भूमि स्वामी 1) श्री शकील अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, 2) श्री राशिद अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, 3) श्री शाहिद अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, 4) श्री रईस इकबाल आत्मज श्री जमील अहमद, 5) डॉ. कमर सुल्ताना पुत्री श्री जमील अहमद, 6) मुसम्मात फरहाना पुत्री श्री जमील अहमद, 7) मुसम्मात मेहरून निशा पुत्री श्री जमील अहमद, 8) मुसम्मात रेहाना पुत्री श्री जमील अहमद, 9) मुसम्मात बदरून निशा पुत्री श्री जमील अहमद, 10) मुसम्मात फखरून निशा पुत्री श्री जमील अहमद में से प्रथम पक्षकार क्रमांक-06 से 10 की ओर से द्वारा मुख्त्यारआम मेसर्स प्रियदर्शिनी कन्स्ट्रक्शन द्वारा प्रोपराईटर श्री प्रदीप शर्मा आत्मज स्व. श्री जी.एस. शर्मा द्वारा ग्राम मिस्परोद स्थित भूमि खसरा क्रमांक 62/1/1, 62/1/10, 61, 3761, 377/61/2/1/1, ज, 62/1/2, 62/1/3, 62/1/4, 62/1/5, 62/1/6, 61, 377/61/2/1,च, 62/1/7, 61, 377/61/2/1/ छ, 62/1/8, 62/1/9, 61, 377/61/2/1/ झ कुल रकबा 1.46 हेक्टे. पर भोपाल नगर पालिका निगम क्षेत्र के अधीन भूखण्ड धारक होकर क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी "A.P.ENCLAVE" निर्मित करने जा रहे है के द्वारा कुल बंधक किया गया भूखण्डों का क्षेत्रफल 1922.61 व.मी., नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल द्वारा जारी अनुमोदित मानचित्र क्रमांक - BPLLP010622556 दिनांक 28/08/2022 में दर्शित भूखण्ड क्रमांक- ए-07, ए-08, ए-09, ए-10 प्रत्येक का क्षेत्रफल - 151.20 व.मी., भूखण्ड क्रमांक-बी-09, बी-10, बी-11, बी-12, बी-13 प्रत्येक का क्षेत्रफल - 125.50 व.मी , भूखण्ड क्रमांक- जी- 01, जी-02 प्रत्येक का क्षेत्रफल - 78.08 व.मी., भूखण्ड क्रमांक - डी -01, डी-02, डी-03, डी-04, डी-05 प्रत्येक का क्षेत्रफल -106.83 व.मी., इस प्रकार कुल 16 भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 1922.61 व.मी., नगर निगम, भोपाल के पक्ष में बन्धक रखे गये है। ये भूखण्ड इस क्षेत्र की कॉलोनी का आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नियमानुसार बंधक मुक्त किये जावेंगे तथा इसी के पश्चात् इन भूखण्ड का विक्रय किया जा सकेगा।

अतः सर्व साधारण इन भूखण्डो के संबंध में न तो अनुबंध करें न ही किसी भी प्रकार के विक्रय, बंधक तथा अन्तरण की कोई कार्यवाही करें अन्यथा वह निरस्त मानी जावेगी अतः सूचित हो ।

सक्षम प्राधिकारी
मुख्य नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, भोपाल

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, पॉलीटेकनिक चौराहा, भोपाल मध्यप्रदेश

पिन कोड - 462002 टेलीफोन नंबर 0755-2660717

Email: heamlbpgcbho@... Website:- http://mlbcollegebhopal.in/

कार्याल...

यांत्रिक...

क्रमांक /यां.वि./2023

निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु दो लिफाफा ...
बंद निविदाये निर्धारित प्रपत्र पर आनलाईन आमं...

क्र.	ऑनलाईन निविदा क्र.	कार्य का नाम
1	2023_UAD_248561_1	ASPHALTING L... COLONY W-09...

1. Interested bidders can view ... purchased only online from 10:3... Amendments to NIT, if any, wou... newspaper. The initial period of 5 (...

नि.क्र. 1488/022/023

कार्यालय

क्र./लोक निर्माण/निविदा/2023/210

केन्द्रीय ई-रजिस्ट्रेशन प्रणाली के अं... प्रतिशत के आधार पर ऑनल...
www.mptenders.gov.i...

क्र.	टेंडर क्रमांक	कार्य...
1	2023_UAD_249186_1	सुरखी... विद्युत...
2	2023_UAD...	वार्ड क्र. 0... पास टीन शेड...

A.P. Construction

S-4, Shri Ramesh Tower 10 No. Market,
Arera Colony, Bhopal-462016 (M.P.)

Ref. *Dt. 09-01-2023*

प्रति,

नगर निवेशक,
नगर पालिका निगम,
भोपाल म.प्र.

विषयः– भवन निर्माण की अनुमति हेतु ।

महोदय,

हमारे द्वारा भूमि खसरा नं. 63/1/1 एवं अन्य ग्राम मिसरोद की भूमि कुल रकबा 1.460 हेक्टेयर पर विकास अनुमति क्रमांक 1073 दिनांक 01.02.2023 से ली गई थी, इस संदर्भ में सार्वजनिक विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दी गई है।

कृपया कर भवन निर्माण की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

आवेदक

A P CONSTRUCTION

Partner

शपथ पत्र

मैं प्रदीप शर्मा, आत्मज श्री गौरीशंकर शर्मा, निवासी–एस–4, श्री रमेश टॉवर, 10 नं. मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल का होकर निम्नलिखित शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि :–

1. यह कि हमारी कालोनी ए.पी.इन्क्लेव का रेरा एप्लाई हो गया है। हमारी कालोनी में विद्युतीकरण कार्यवाही की जा रही है। इसकी चार्जिंग हमारी कालोनी का रेरा प्रमाण पत्र मिलने के बाद कराये जायेगा।

For A P CONSTRUCTION

शपथग्रहिता Partner

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र के चरण क्रमांक 1 में दी गई जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के साथ सत्य एवं सही है।

यह सत्यापन आज दिनांक 20/10/23 शहर भोपाल में सत्यापित किया गया है।

For A P CONSTRUCTION

शपथग्रहिता Partner

IDENTIFIED BY ME

Name :

Address :

Signature :

SWORN BEFORE ME

21/10/2023